न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 52/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री तारीक अहमद एडवोकेट नि0 नीलगरों की मस्जिद के पास, सांगानेर भीलवाड़ा **बनाम** सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा

——अपीलार्थी ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 19/07/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 22.06.2018 को स्वयं उपस्थित होकर अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 922252 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 23/03/2018 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रस्तुत किया । किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 23.03.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 04.07.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। प्रथम सुनवाई दिनांक 19.07.2018 को अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए एवं प्रत्यर्थी प्रतिनिधि ने भी उपस्थित होकर अपीलार्थी के आवेदनानुसार सूचनाएं तैयार कर अपने पत्रांक/सू.अ./2017/106 दिनांक 18.07.2018 के साथ प्रस्तुत की है जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी सीधे ही निःशुल्क भिजवाई गई है। प्रत्यर्थी के द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि सूचना विलम्ब से उपलब्ध कराई परन्तु निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से उक्त अपील को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया।

अपीलार्थी के आवेदन एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 22.06.2018 में अंकित 1 व 2 बिन्दुओं की सूचना प्रत्यर्थी के द्वारा तैयार की जाकर अपने पत्रांक /सू.अ./2018/106 दिनांक 18.07.2018 से इस न्यायालय को भिजवाई है जिनकी प्रति सीधे ही अपीलार्थी को भिजवाने का भी उल्लेख है। बिन्दु संख्या 01 में विक्रयपत्र की प्रति का भी वर्णन है जो कि प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होकर उप पंजीयक भीलवाड़ा से सम्बन्धित है जिसके लिए अपने प्रत्युत्तर में उक्त दस्तावेज की नकल उप पंजीयक भीलवाड़ा के कार्यालय से प्राप्त करने हेतु भी उल्लेख किया है । यह सही है कि प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में अंकित सूचना नियत समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम में दिए गए प्रावधानों की पालना नहीं किया जाना प्रतीत होता है परन्तु वांछित सूचनाएं तैयार की जाकर अपीलार्थी को सीधे ही निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी को समस्त सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 19/07/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा